

**कायालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

-: अधिसूचना :-

दिनांक 03 / 01 / 2023

क्रमांक १५५ चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की कटघोरा-हरदीवाजार-बलीदा-अकलतरा मार्ग में (सुराकछार) के पास खोलार नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पर्याय अर्थान्वयित 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

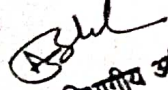
भूमि का वर्णन :-

1. जिला : कोरबा
2. तहसील : कटघोरा
3. ग्राम/नगर : कुचेना
4. भूमि का क्षेत्रफल: 0.615 हे.

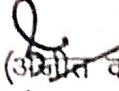
खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
543/1	0.057
549/1	0.020
555	0.020
556/2	0.057
556/3	0.081
557/2	0.073
557/3	0.081
566/2	0.065
548/1	0.040
552/2/क	0.121
योग :- 10	0.615

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण
उप संचालक कोरबा (छ.ग.)


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ.ग.)


(अभिमत वसंत)
कलेक्टर, कोरबा
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग